

FORM

(Memorandum of settlement arrived at between the employer and his workers during conciliation and/or settlement arrived at otherwise than in the course of conciliation proceeding)

Names of Parties:

..... Representing employer(s);

..... Representing workers;

Short recital of the case

.....

Terms of settlement

.....

Signature of the parties

Witness :

(1)

(2)

*Signature of Conciliation Officer

In case the settlement arrived at between the employer and his workers otherwise than in the course of conciliation proceeding, the copy of the memorandum shall be sent to the Labour Commissioner.

प्ररूप

(सुलह के दौरान नियोक्ता और उनके कामगारों के मध्य हुए समझौता या सुलह प्रक्रिया के अतिरिक्त किसी अन्य तरीके से हुये समझौता का ज्ञापन)

पक्षों का नाम :

.....- नियोक्ता का प्रतिनिधि;

.....- कामगार का प्रतिनिधि;

मामले का संक्षिप्त विवरण

.....-

समझौते की शर्तें

.....-

पक्षों के हस्ताक्षर

साक्षी :

(1)

(2)

*सुलहकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

सुलह की कार्यवाही के अन्यथा, नियोक्ता और उसके कामगारों के मध्य हुए समझौते के मामले में, ज्ञापन की प्रति श्रमायुक्त, छत्तीसगढ़ को भेजी जाएगी।